न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 04/2023

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1— महंत रघुनाथदास पुत्र राधिकादास आयु 90 वर्ष, निवासी नृसिंदड़ा जोधपुर।		1— चेतन जाणी पुत्र महंत रघुनाथदास 2— लक्ष्मी पत्नी चेतन जाणी जाति जाट निवासी—नृसिंहदड़ा, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर, उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 46/2019 महंत रघुनाथदास बनाम चेतन जाणी व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः— आदेश दिनांक 27.02.2024

1— अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।
2— प्रत्यर्थीपक्ष—1 चेतन जाणी उपस्थित।
3— प्रत्यर्थीपक्ष—2 अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर, उत्तर के समक्ष प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 धारा 5 बाबत् प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण चेतन जाणी व लक्ष्मी से नृसिंहदड़ा मंदिर परिसर से अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को खाली करने व प्रार्थीपक्ष को कब्जा दिलाने का प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर, उत्तर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट, गालीगलौच न करने एवं सद्व्यवहार बनाए रखने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील दर्ज (04/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष [illegible] जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी[illegible] 1 व [illegible] दिनांक 29.08.2023 को उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त [illegible] है। अपीलार्थीपक्ष लम्बे समय से अनुपस्थित रह रहे है तथा प्रत्यर्थीपक्ष—1 दिनांक [illegible]24 को उपस्थित हुए

लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:18 IST
Reason: SelfAttested

बेटी बचाओ बेटी पढाओं।

[illegible] अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

तथा उनकी इकतरफा बहस सुनी गई।

रेस्पो.पक्ष–1 ने अपनी बहस में बतलाया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया कि विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जायेगा, प्रस्तुत प्रकरण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया अतः प्राथमिक स्टेज पर ही यह अपील निरस्त योग्य है। बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 74, साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपील अधिकरण के समक्ष अपीलांट रघुनाथदास पुत्र राधिकादास की ओर से विधि व्यवसायी अधिवक्ता श्री आरिफ मलकानी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई इस अपील पर अपीलार्थी रघुनाथदास के मिलते जुलते कूटरचित हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत की गई। बहस के निरन्तर में कहा कि अपीलार्थी रघुनाथदास प्रत्यर्थी/अप्रार्थी मुझ चेतन जाणी के पिता होने के नाते रूघनाथदास के हस्ताक्षर को अच्छी तरह से पहिचानता है अतः प्रस्तुत अपील के सभी पृष्ठ मय शपथपत्र तक में किये गये रघुनाथदास के हस्ताक्षरों की जांच कर विधि विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को निरस्त कर कूटरचित हस्ताक्षर करने बाबत् पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता श्री आरिफ मलकानी द्वारा प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् सुनवाई के लिए अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। रेस्पो.पक्ष की ओर से बहस में मुख्यरूप से उक्त अधिनियम 2007 के प्रावधानों में विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का अध्ययन किया। अधिनियम, 2007 की धारा 17 में स्पष्ट किया कि "Notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a Tribunal or Appellate Tribunal shall be represented by a legal practitioner

अतः धारा 17 उपबन्ध करती है कि विधिक व्यवसायी अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियों में से किसी में भाग नहीं लेगें। अतः रेस्पो.पक्ष की यह आपत्ति स्वीकार योग्य है कि उक्त अपील अधिवक्ता श्री आरिफ मलकानी द्वारा प्रस्तुत करने के कारण प्राथमिक स्टेज पर ही निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार यह अपील सशर्त निरस्त की जाती है कि अपीलार्थी नये सिरे से अपील प्रस्तुत कर सकता है। आदेश प्रति के सथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 27.02.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:18 IST
Reason: SelfAttested